न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 119/24

वादी :–

1–डूंगरप्रसाद पुत्र इन्द्रचन्द
जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी फालकी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1–रामकिशोर पुत्र इन्द्र चन्द
जाति जांगीड़ ब्राहमण निवासी फालकी तहसील रियांबड़ी
2–तहसीलदार रियांबड़ी
3–पटवारी हलका मुगदड़ा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

दावा बाबत घोषण व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :–06/06/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीग एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू है व हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार से है।

इन्द्रचन्द

रामकिशोर पुत्र — डूगरप्रसाद पुत्र

2–यह है कि मौजा फालकी के खसरा नंबर 1056 रकबा 0.83 हैक्टर की भूमि वादी के पिता इन्द्रचन्द के नाम से खातेदारी की आई हुई है। जो वादी के पिता इन्द्रचन्द जी ने पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवा दी। जबकि उक्त भूमि पैतृक भूमि थी। इसलिए इसमें ादी का भी बराबर का भी हक हकूक व अधिकार है। व वादी का जन्म से अधिकार है।

3–यह है कि पेरा संख्या 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

4–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण माफिक हक के काश्त व काबिज है। परतु माफिक हक के वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं है। इसलिए वादी यह घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

5–यह है कि निम्न प्रकार से खातेदारी घोषित की जवें जो इस प्रकार की जावें :–
ग्राम फालकी की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 1056 रकबा 0.83 हैक्टर में सें 1/2 भाग वादी के नाम व 1/2 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से बंट की घोषित की जावें।

6–यह है कि उपरोक्त बताये माफिक पक्षकरान भूमि पर काश्त व काबिज है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

रेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेरा नबर 5 में बताये अनुसार वादी व तिवादीगण संख्या 1 के नाम से घोषित कर दिया जावें।

–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ तिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें :–

ग्राम फालकी के खसरा नंबर 1056 रकबा 0.83 हैक्टर की भूमि वादी के पिता न्द्रचन्द जी के नाम से खातेदारी की आई हुई थी जो वादी के पिता इन्द्रचन्द जी पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से करवा दी। जबकि उक्त भूमि पैतृक भूमि ो। इसलिए इसमें वादी का भी बराबर का भी हक हक़ूक व अधिकार है वा वादी ा जन्म से अधिकार है।

ो.यह है कि विवादित खसरान का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में बताये नुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन बाब बाबत तलब किया गयां। वादी मय वकील व प्रतिवादी मय वकील के हाजिर ायालय होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के स्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया वादग्रस्त आराजी वादी के पिता ने अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एकेले के नाम रवा दी थी। जबकि वादग्रस्त आराजी में वादी का भी हिस्सा निहित था। इसलिए दग्रस्त आराजी का बंटवारा राजीनामा के अनुसार किया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया या जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ातेदारी में दर्ज है। जो वादी के पिता इन्द्रचंद ने उसके नाम करवाई थी। जबकि ूमि पैतृक होने से उसमें वादी का भी हक निहित है। अतः राजीनामा के अनुसार टवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

मौजा फालकी के खसरा नंबर 1056 रकबा 0.83 हैक्टर में सें 1/6 भाग वादी व 5/6 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में रखा जाता है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उक्तानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में मल दरामद किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रेयांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर